FOREST PROPOSAL

उत्तराखण्ड सरकार

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मार्ग की लम्बाईः–	2.315	किमी0 (वास्तविक लम्बाई)
आरक्षित वन भूमिः–	0.000	हैक्टेयर
मार्ग के सिविल वन भूमिः–	1.4175	हैक्टेयर
मल्वा निस्तारण हेतू सिविल वन भूमिः–	0.063	हैक्टेयर
नाप भूमिः–	0.666	हैक्टेयर
कुल सिविल वन भूमिः–	1.4805	हैक्टेयर
कुल वनभूमि (आरक्षित+सिविल):–	1.4805	हैक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विषय सूची / (चैकलिस्ट)

क्र0सं0	प्रमाण–पत्र / अन्य सूचनायें	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
1.	प्राधिकार प्रमाण पत्र	4	सलग्न
2.	प्रतिवेदन	5	सलग्न
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रारूप –2, भाग–I	7	सलग्न
4.	प्रारूप –3, भाग – II	8	सलग्न
5.	प्रारूप –4, भाग – III	10	सलग्न
6.	कार्य का शासनादेश प्रारुप–5	11	सलग्न
7.	प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रारुप–6	15	सलग्न
8.	साइट इन्सपैक्शन रिपोर्ट, प्रारूप – 7	16	सलग्न
9.	प्रारूप – 8, डिजिटल मानचित्र ए 1:50000 के नक्शे पर	17	सलग्न
10.	डिजिटल मैप	19	सलग्न
11.	प्रारूप – 13, स्वीकृत समरेखण	24	सलग्न
12.	प्रारूप –14, वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र–1	32	सलग्न
13.	प्रारूप – 15, लैण्ड शैड्यूल (आरक्षित वन भूमि)	33	सलग्न
14.	प्रारूप 15–1, लैण्ड़ शेड्यूल (सिविल एवं सोयम, वन पंचायत व नाप)	34	सलग्न
15.	प्रारूप – 16, परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।	35	सलग्न
16.	बार चार्ट	36	सलग्न
17.	प्रारूप – 18, कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र	37	सलग्न
18	प्रारूप – 19, प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण	38	सलग्न
19	प्रारूप – 20, परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन	39	सलग्न
20	प्रारूप – 20.1, प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश	40	सलग्न
21	प्रारूप – 21, परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तिविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण	41	सलग्न
22	प्रारूप – 22, वनसंरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांझ वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र	42	सलग्न
23	प्रारूप – 23, परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने का प्रमाण पत्र	43	सलग्न
24	प्रारूप – 24, न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र	44	सलग्न
25	प्रारूप – 25, राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र / हवाई दूरी का प्रमाण पत्र	45	सलग्न
26	प्रारूप – 26, परियोजना के राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10 कि0मी0 की परिधि के अंतर्गत होने की दशा का प्रमाण पत्र	46	सलग्न
27	प्रारूप – 27, परियोजना के राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रस्तावित होने होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद् एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति	47	सलग्न
28	प्रारूप – 28, आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र	48	सलग्न
29	प्रारूप – 29, लागत लाभ अनुपात का विवरण	50	सलग्न
30	प्रारूप – 30, वनाधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र	51	सलग्न
31	प्रारूप – 30.2, वनाधिकार अधिनियम 2006 (ब्लॉक लेबल कमेटी)	53	सलग्न

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विषय सूची / (चैकलिस्ट)

क्र0सं0	प्रमाण–पत्र / अन्य सूचनायें	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
32	प्रारूप – 30.3, वनाधिकार अधिनियम 2006 (ग्राम सभा कमेटी)	54	सलग्न
33	ले आऊट प्लान (नजरी नक्शा)	56	सलग्न
34	प्रारूप – 33, भूवैज्ञानिक की आख्या	57	सलग्न
35	प्रारूप – 34, भूवैज्ञानिक की संस्तुति / सुक्षाव का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र	61	सलग्न
36	प्रारूप – 35, Task Forcer Certificate	62	सलग्न
37	प्रारूप – 36, मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण पत्र	63	सलग्न
38	प्रारूप – 37, धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	64	सलग्न
39	प्रारूप – 38, वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण–पत्र	65	सलग्न
40	प्रारूप – 39, श्रमिकों को मिटटी का तेल / रसोई गैस की आपूर्ति किये जाने का प्रमाण पत्र	66	सलग्न
41	प्रारूप – 40, लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	67	सलग्न
42	प्रारूप – 41, वन भूमि के मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र	68	सलग्न
43	प्रारूप – 42, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र	69	सलग्न
44	प्रारूप – 43, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र	73	सलग्न
45	प्रारूप – 44, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 पैमाने का टोपो सीट का मानचित्र	74	सलग्न
46	प्रारूप – 45, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का गूगल रंगीन मानचित्र	75	सलग्न
47	प्रारूप – 46, परियोजना स्थल के आस–पास पड़े रिक्त स्थानों / पथ वृक्षारोपण / 100 वृक्षों / काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों / बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन	76	सलग्न
48	प्रारूप – 47, भूमिधर का अनापत्ति एवं भूमिधर होने का प्रमाण पत्र	77	सलग्न
49	प्रारूप – 48, भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य अनुबन्ध की प्रति	78	सलग्न
50	प्रारूप – 49, मलवा निस्तारण हेतु योजना का प्रमाण पत्र	79	सलग्न
51	प्रारूप – 50, एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन	85	सलग्न
52	प्रारूप – 51, एन0पी0वी0 की बढ़ी धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र	86	सलग्न
53	प्रारूप – 52, सीमांकन हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का प्रमाण पत्र	87	सलग्न
54	प्रारूप – 53, वनभूमि लीज पर दिये जाने का प्रमाण पत्र	88	सलग्न
55	प्रारूप – 54, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र	89	सलग्न
56	प्रारूप – 55, प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान	90	सलग्न
57	प्रारूप – 56, भारत सरकार एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाण पत्र	91	सलग्न
58	प्रारूप – 57, विस्फोटकों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र)	92	सलग्न
59	प्रारूप – 58, सजरा प्लान	93	सलग्न

(4)

प्राधिकार प्रमाण पत्र
प्रारुप–1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Mr.Harshbardan Maithani son of Late Sri N. D. Maithani is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding New Construction of Gandiyaldhar to Pandav Paldi to Moldhar Sarmoli Khongcha Motor Road of the T.D. P.W.D.
Srinagar H.Q. Kirtinagar (agency name) on the Government of India portal. forestclearance.nic .in on behalf of the Sri B.P. Nautiyal Executive Engineer (head of the Institutions name / designation).

Signature

13/02/18

Name and seal of the competent Authority

5

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वास्तविक लम्बाईः **2.315 किमी0**

स्वीकृत लागतः **रू0 129.60लाख**

स्वीकृति संदर्भः **2503 / ।।।–(2) / 06–37(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 20.9.2006**

योजनाः **राज्य योजना (2006–07)**

जनपद टिहरी गढवाल में किर्तिनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण मोटर मार्ग का निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त स्वीकृति के अनुपालन में राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार से पाडण्व मोटर मार्ग का निर्माण हेतु मार्ग का वास्तविक सर्वेक्षण कार्य करने के उपरान्त मार्ग की वास्तविक ससोधित लम्बाई 2.315 किमी0 आंकी गयी जबकि अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 692 / 542सी0–8 / 2008 दिंनाक 26.02.2008 से 6. 35 किमी0 लम्बाई हेतू समरेखण स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति सलंग्न है उक्त समरेखण हेतु ग्रामवासीयों ,ग्रामप्रधान की सहमति सलंग्न है। वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तगर्त पाडण्व गॉव के लिए मार्ग प्रस्तावित है जो कि धण्डियाल धार से पाडण्व मार्ग की 2.315 किमी0 लम्बाई में भराखील गावॅ में मिल रहा है अतः राज्य योजना के अन्तगर्त स्वीकृत मोटर मार्ग के लिए नव निर्माण कार्य भी इसी लम्बाई के लिए किया जाना है अतः इसी लम्बाई के अनुरुप पडने वाली विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

पल्यापटाला एवं पाडण्व ग्रामसभा अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ें है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्ब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

इस मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची

कम संख्या	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	
			कुल	अनुसूचित जाति
1	पल्यापटाला	00334100	536	0
2	परिपुण्डोली	00334000		2
3	पाडण्व	00334200	122	0

अतः चिन्हित संरेखण उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष 2.315 किमी लम्बाई हेतु गॉववासीयों की सहमति तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय कोण से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः2.315 कि0मी0 लम्बाई में मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम भूमि 1.4175 है0, एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.063 है0, अर्थात कुल 1.4805 है0 लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0: कीर्तिनगर	मु0: कीर्तिनगर	मु0: कीर्तिनगर

6

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वास्तविक लम्बाईः **2.315 किमी0**

स्वीकृत लागतः रू0 129.60लाख

स्वीकृति संदर्भः 2503 / III–(2) / 06–37(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 20.9.2006

योजनाः राज्य योजना (2006–07)

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु दिनॉक 08 / 02 / 2015 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मोटर मार्ग के मलवे के निस्तारण सिविल सोयम भूमि में स्थलों का चयन किया गया है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड् में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्राविधान है। सिविल सोयम भूमि को प्रस्ताव में (लैन्ड शेड्यूल प्रपत्र 15.1) पर गठित किया गया है

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु रू 5.95 लाख का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेगें। मलवा कही भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।

कनिष्ठ अभियंता	सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0: कीर्तिनगर	मु0: कीर्तिनगर	मु0: कीर्तिनगर

7

प्रारूप –2,

भाग– I (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव –/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :– **परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

   (ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :– **संलग्न है।**

   (ग) परियोजना की लागत। :– **129.60 लाख**

   (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :– **अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।**

   (ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :– **संलग्न है।**

   (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :– **मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 3240 मानव दिवस।**

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः :–

   आरक्षित वन भूमि :– **0.000हैक्टेयर**

   सिविल सोयम भूमि :– **1.4175हैक्टेयर**

   नाप भूमिः– :– **0.666हैक्टेयर**

   मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि :– **0.063हैक्टेयर**

   योग :– **1.4805हैक्टेयर**

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :– **लागू नहीं है।**

   (क) परिवारों की संख्या :– शुन्य

   (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के :– शुन्य

   (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :– शुन्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) :– **नहीं।**

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) :– **संलग्न है।**

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। :– **संलग्न है।**

दिनाँक 8/2/15

स्थान कीर्तिनगर

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

कनिष्ठ अभियंता	**सहायक अभियंता**	**अधिशासी अभियंता**
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर	अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)	(मुख्यालयः कीर्तिनगर)	(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

(8)

प्रारूप –3,
भाग–।। (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :– परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
   - (i) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र :– उत्तराखण्ड
   - (ii) जिला :– टिहरी गढ़वाल
   - (iii) जिला वन प्रभाग :– टिहरी गढ़वाल
   - (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :–
8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः :– सिविल एवं सोयम वन भूमि
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः :–
   - (i) वन का प्रकार :–
   - (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व :–
   - (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :– विवरण संलग्न है
   - (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :–
10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण :– भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न है
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : :– लगभग 10 किमी
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : :–
   - (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : :– —
   - (ii) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) :– नहीं
   - (iii) क्या किसी राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :– नहीं
   - (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
   - (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :– कोई नहीं
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :– नहीं
14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : :– नहीं
   - (i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि :– अपरिहार्य एवं न्यूनतम
   - (ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि :– नहीं

(9)

प्रारूप –3,

भाग–।। (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

15. **किए गए अतिकमण के ब्यौरे :** :–

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) :– नही

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लि :– नही

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :– नही

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :– नही

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। :– संलग्न है

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : :– 248614=00

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। :– हाँ

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। :–

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशों :–

हस्ताक्षर

दिनाँक 23/2/15

स्थान ऋषिकेश

नाम– प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि की रेती

सरकारी मोहर............

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर मुनीकीरेती
वन विभाग उत्तराखण्ड

प्रारूप –4,
भाग– III

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

19 क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेशण की तारीख संलग्न की जाय। :–

20 क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। :–

21 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :–

हस्ताक्षर

दिनाँक ....

स्थान ....

नाम और पदनाम–

सरकारी मोहर...

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर मुनीकीरेती
वन विभाग उत्तराखण्ड

प्रारूप –5,

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की गयी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

दिनाँक 8/2/15
स्थान कीर्तिनगर

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

(12)

संख्या–2503/ III–2/06–37(प्रा.आ.)/06

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 20 सितम्बर, 2006

विषय:– वित्तीय वर्ष 2006–07 में 123(एक सौ तेईस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 123 कार्यों के रूपये 14630.50 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 13779.48 लाख (रूपये एक सौ सैंतीस करोड़ उनासी लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 32.20 लाख (रू0 बत्तीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शा0सं0–452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय–2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

13

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-591/XXVII(2)/2006 दिनांक 19 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 123 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2503(1)/III-2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त ज़िलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमायूं/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा/पौड़ी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

13/11/06

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
M.O. Srinagar
30.10.06

(14)

शासनादेश संख्या– 2503 / 11(2) / 06–37(प्रा.आ.) / 06 दिनांक 29 सितम्बर, 2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2006–07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	घोड़ीखाल–कण्हारा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का पुनः निर्माण/सुधार	1.00	18.50	18.50	1.00
2.	सुगंरखाल–सीकूखाल–ज्वालपादेवी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य (मा0मु0म0घो0)	5.00	92.50	92.50	0.10
3.	नौगांवखाल–तुनाखाल–ड्यूल मोटर मार्ग का डामरीकरण (मा0मु0म0घो0)	8.30	120.34	120.34	1.00
4.	सीकू–कण्डेरी ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन (मा0मु0म0घो0)	5.00	63.15	63.15	0.10
5.	मटियाली–मुसासू ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन (मा0मु0म0घो0)	3.00	60.75	60.75	0.10
6.	पोखरीखेत–गडरिया–चोरकंडी–मंजखोली–पाबौ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (मा0मु0म0घो0)	10.00	172.50	172.50	0.10
7.	कल्जीखाल–डांडूखाल मोटर मार्ग का विस्तार (मा0मु0म0घो0)	5.00	86.25	86.25	0.10
8.	प्रेमनगर–गण्डोली–खण्डाह मार्ग का विस्तार (मा0मु0म0घो0)	5.00	86.25	86.25	0.10
9.	घोड़ीखाल–निसणी मोटर मार्ग का विस्तार (मा0मु0म0घो0)	5.00	86.25	86.25	0.10
10.	कांसखेत–असगढ़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार (मा0मु0म0घो0)	4.00	58.00	58.00	1.00
11.	कांसखेत–असगढ़–घढियाला–दियूंसा मोटर मार्ग का विस्तार (मा0मु0म0घो0)	10.00	172.50	172.50	0.10
12.	जखेटी नानसू ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	4.00	81.00	81.00	0.10
13.	पौडी ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र ल्वाली के लिए सम्पर्क मार्ग	1.00	28.85	28.85	0.10
14.	कल्जीखाल–डंगरोली–नलई मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण/सुधार	10.00	202.50	202.50	1.00
15.	टेका केवर्स टंगरोली ह0वा0 मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन/डामरीकरण	5.00	101.25	101.25	1.00
16.	घण्डियालधार पांडव मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
17.	काण्डीखाल–सिलोड़ ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन/नव निर्माण	4.00	56.30	56.30	0.10
18.	चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
19.	पालदी से सोलधार सरमोली से खोंगचा से चौनीखाल मार्ग निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
20.	खजरा बेजवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	64.80	64.80	0.10
21.	दुगड्डा सौड़ पीपलीधार मोटर मार्ग पर सौडू जाखी गवाणा से ग्वाड टोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.10
22.	ठेला थार्ती चिरबटिया मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	194.40	194.40	0.10
23.	मैगाधार–भेटी–जमोलना–पोखार ह0वा0मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	5.00	42.50	37.50	0.10

6 Road × 0.10 = 0.60

15

प्रारूप –6,

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आज दिनाँक 8/02/2015 को राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार से पाडण्वतक बनाये जाने वाले मोटर मार्ग प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री संजय रौथाण वन आरक्षी एवं श्री बृजमोहन गैरोला वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री गबर सिंह रावत राजस्व उप निरीकक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हेमन्त नौटियाल कनिष्ठ अभियंता,व अमीन रावत जी के द्वारा सयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृश्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 740 (मी0) नाप भूमि.से, 1575 (मी0) सिविल भूमि से, शून्य (मी0) वन पंचायत से, शून्य (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी

एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.666 हे0 नाप भूमि, 1.4805 हे0 सिविल भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, 0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.4805 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी ।

इस समरेखन पर में लगभग 88 वृक्ष , बांज, चीड खडीक भीमल प्रजाति के प्रभावित होंगे, जिनमें से 50 बांज प्रजाति के है अतः चयनित विकल्प के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन कक्षों से नहीं गुजरता है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.2 है एवं इन कक्षों में सदाबहार प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर चीड़ एवं देवदार प्रजाति के वन नहीं हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर भीमल, बांज खडीक, कचनार प्रजाति के .वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.2 है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ व अन्त बिन्दु स्थल का जी0पी0एस0 मान कमशः 30°19'51. 82''एन–78°48'49.57''ई और 30°20'17.34''एन–78°48'13.65''ई है

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा

इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका जी0पी0एस0 मान 30°20'10. 47''एन–78°48'40.20''ई , और हैं।

प्रभागीय वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) कनिष्ठ अभियंता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर (मुख्यालयः कीर्तिनगर)	हस्ताक्षर प्रतिनिधि (वन विभाग)	हस्ताक्षर प्रतिनिधि (राजस्व विभाग)	हस्ताक्षर जन प्रतिनिधि (मोलधार खोगचा क्षेत्र)

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

क्षेत्र पंचायत सदस्य
देवगढ़ी पट्टी लोस्तु
विकास खण्ड कीर्तिनगर टि०ग०

प्रारूप –7.

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तगर्त घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतू पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1- A proposal has been received by this office from Executive Engineer TD PWD Srinagar, HQ- Kirtinagar for diversion under FCA-1980) of 1-4805 ha. of forest land for non-forestry purpose.

The project envisages the use of forest land for construction of Gandiyaldhar to PandavMotor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..................

2- On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 1-4805 ha.

3- The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

4- Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5- xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

Place:-23/2/15

Date....Kirtinagar

(Signature)

Name.......प्रभागीय वनाधिकारी

Designation......नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर मुनीकीरेती
वन विभाग उत्तराखण्ड